9(107)/07.

क्रम-संख्या–315

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 नवम्बर, 2007

कार्तिक 28, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2337/79-वि-1-07-1 (क)50-2007
लखनऊ, 19 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 नवम्बर, 1999 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस अधिनियम में :–

(क) "व्यापार" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(एक) कोई व्यापार, वाणिज्य या निर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या निर्माण के स्वरूप का कोई प्रोद्यम या संस्थान, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाये या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान से कोई लाभ प्रोद्भूत हो या नहीं;

(दो) किसी प्रयोजन के लिए किसी संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी माल का प्रयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं); और

(तीन) कोई संव्यवहार जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान या संकर्म संविदा या पट्टे से आनुषंगी हो या उससे सम्बद्ध हो या उससे आनुषंगिक या उसके परिणामस्वरूप हो ;

(ख) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यापार के दौरान, चाहे अपने बास्ते या किसी स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त करता है या परिदान प्राप्त करने का हकदार है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं,–

(एक) कोई स्थानीय प्राधिकारी, निगमित निकाय, कम्पनी, कोई सहकारी समिति या अन्य सोसायटी, क्लब, फर्म, अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्तियों का अन्य संघ (एसोसियेशन) जो ऐसा व्यापार करता है;

(दो) कोई मध्यवर्तिक (फैक्टर), दलाल, आढ़ती, कमीशन एजेन्ट, परिशोधी अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेन्ट) या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाये, जो ऊपर वर्णित प्रकार का हो या न हो और जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करने का व्यापार करता है;

(तीन) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट मालिक के माल का विक्रय या उसे नीलाम करने का व्यापार करता है और चाहे इच्छुक क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा या मालिक द्वारा या, मालिक के नामांकिती (नामिनी) द्वारा स्वीकार किया गया हो;

(चार) कोई सरकार जो व्यापार के दौरान या अन्यथा, नकद या बाद में किये जाने वाले भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अन्य प्रकार से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करती है;

(पाँच) प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यापारी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य मे माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करता है या ऐसे व्यापारी की ओर से निम्नलिखित रूप में कार्य करता है,–

(क) माल विक्रय अधिनियम, 1930 में यथा परिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता ; या

(ख) माल या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजों का प्रबन्ध करने के लिए अभिकर्ता; या

(ग) माल के विक्रय मूल्य का संग्रह या भुगतान करने के लिए अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या भुगतान के लिए प्रतिभू ;

(छः) किसी फर्म या कम्पनी या अन्य निगमित निकाय का मुख्य कार्यालय या मुख्यालय राज्य के बाहर हो और कोई शाखा या कार्यालय राज्य में हो, तो ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्भरण या वितरण करने के सम्बन्ध में ऐसी फर्म या कम्पनी या अन्य नियमित निकाय ;

(सात) प्रत्येक व्यक्ति जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति के अन्तरण का व्यापार करता है;

(आठ) प्रत्येक व्यक्ति जो नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) प्रयोग करने के अधिकार के अन्तरण का व्यापार करता है;

(नौ) कोई व्यक्ति जो, व्यापार की प्रकृति के यदा-कदा संव्यवहार के दौरान, चाहे अपने वास्ते या किसी मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते, किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने पर माल का परिदान प्राप्त करता है या परिदान प्राप्त करने के लिए हकदार है ;

स्पष्टीकरण :—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पद "व्यापार के दौरान" के अन्तर्गत "व्यापार स्थापित होने या उसके प्रारम्भ होने के दौरान" भी है।

(ग) "माल के प्रवेश" का तात्पर्य, अपने सभी व्याकरणिक रूप-भेदों तथा सजातीय-पद प्रयोगों सहित, माल का;

(एक) स्थानीय क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से ;

(दो) स्थानीय क्षेत्र में राज्य के बाहर किसी स्थान से ;

(तीन) स्थानीय क्षेत्र में भारत के प्रादेशिक क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए प्रवेश से है।

(घ) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य ;

(एक) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन किसी नगर निगम;

(दो) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन किसी नगरपालिका;

(तीन) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत;

(चार) संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन किसी ग्राम पंचायत;

(पाँच) छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन किसी छावनी;

(छः) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र ;

(सात) औद्योगिक नगरी जो किसी भी नाम से जानी जाय;

(आठ) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये,

के अधीन आने वाले क्षेत्र से है ;

(ङ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(च) "अनुसूचित माल" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित माल से है;

(छः) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से है;

(ज) "माल के मूल्य" का तात्पर्य मूल क्रय बीजक या बिल से यथा अभिनिश्चित किसी माल के मूल्य से है और उसके अन्तर्गत पैकिंग सामग्री का मूल्य, पैकिंग और प्रेषण प्रभार, बीमा प्रभार, उत्पाद-शुल्क, प्रतिशुल्क, सीमा शुल्क और तत्समान अन्य शुल्क के रूप में धनराशियाँ, प्रभारित की गयी किसी फीस या कर की धनराशि, परिवहन प्रभार, माल भाड़ा प्रभार और किसी अन्य प्रभार की धनराशियाँ भी है, जो ऐसे माल के ऐसे स्थानीय क्षेत्र में क्रय या परिवहन से सम्बन्धित हों, जिसमें माल को उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए लाया या प्राप्त किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई माल,-

(एक) क्रय किया गया हो और किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने या प्रस्तुत न किये जाने के कारण उसका मूल्य अभिनिश्चय न हो; या

(दो) क्रय किया गया हो और किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने या प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा घोषित मूल्य सत्यापनीय न हो; या

(तीन) क्रय किया गया हो और क्रय-मूल्य या परिवहन प्रभारों और अन्य प्रभारों के समर्थन में प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज विश्वासयोग्य न हो; या

(चार) क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित या प्राप्त किया गया हो,

वहाँ 'माल के मूल्य' का तात्पर्य ऐसे मूल्य या कीमत से होगा जिस पर उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें माल उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए या प्राप्त किये जा रहे हों, खुले बाजार में थोक मूल्य पर विक्रय किये जाते हों या विक्रय किये जाने योग्य हों।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के अधीन किसी माल के थोक मूल्य को अभिनिश्चित किये जाने के प्रयोजन के लिए थोक मूल्य के अन्तर्गत क्रेता द्वारा उत्पाद-शुल्क या किसी अन्य शुल्क के रूप में भुगतान की गयी या देय कोई धनराशि भी होगी, किन्तु उसके अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के पश्चात माल के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के निमित्त ली गयी कोई धनराशि या उसी प्रकार के या उसी गुणवत्ता के माल के विक्रय के सम्बन्ध में देय फीस या कर की, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन देय कर भी है, कोई धनराशि नहीं होगी।

(झ) "निधि" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में उनके लिये समनुदेशित हैं।

अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण

3—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए :—

(क) व्यापार कर विभाग के कमिश्नर, विशेष कमिश्नर व्यापार कर, एडीशनल कमिश्नर व्यापार कर और ज्वाइन्ट कमिश्नर व्यापार कर, क्रमशः कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर और ज्वाइन्ट कमिश्नर होंगे तथा वे क्रमशः कमिश्नर प्रवेश कर, स्पेशल कमिश्नर प्रवेश कर, एडीशनल कमिश्नर प्रवेश कर और ज्वाइन्ट कमिश्नर प्रवेश कर के रूप में पदाभिहित किये जायेंगे।

(ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त "अपीलीय प्राधिकारी" और अध्यक्ष तथा सदस्य, अधिकरण क्रमशः "अपीलीय प्राधिकारी" और अध्यक्ष तथा सदस्य, अधिकरण के रूप में कार्य करेंगे।

(ग) व्यापार कर विभाग में तैनात सभी डिप्टी कमिश्नर एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर प्रवेश कर एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर प्रवेश कर होंगे और उसी प्रकार व्यापार कर विभाग में तैनात सभी व्यापार कर अधिकारी प्रवेश कर अधिकारी होंगे।

(घ) राज्य सरकार या कमिश्नर व्यापार कर द्वारा व्यापार कर सर्किल में तैनात व्यापार कर अधिकारी से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी, उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 13 एवं धारा 13-क के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार अथवा कमिश्नर व्यापार कर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी और उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 28 के अधीन स्थापित किसी जाँच चौकी पर तैनात व्यापार कर अधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(ङ) अध्यक्ष और सदस्य, अधिकरण के सिवाय इस अधिनियम के अधीन समस्त अधिकारी या प्राधिकारी कमिश्नर के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे और कमिश्नर अपीलीय अधिकारी के सिवाय अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी भी अधिकारी में निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों की क्षेत्रीय अधिकारिता वही होगी जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से राज्य सरकार अथवा कमिश्नर व्यापार कर द्वारा नियत या अवधारित की जाय।

कर उद्ग्रहण

4–(1) राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास के प्रयोजनार्थ किसी स्थानीय क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी माल के उसी क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय के लिये प्रवेश पर माल के मूल्य के 5 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और भिन्न-भिन्न माल या माल की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के संबंध में भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर अनुसूची को उपधारा (10) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर का उद्ग्रहण किया जाना तब तक जारी रखा जायेगा जब तक राज्य में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग हेतु बेहतर व्यवसायिक स्थिति की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य में आधारभूत संरचना यथा बिजली, सड़क एवं बाजार की स्थिति आदि के सुधार हेतु अपेक्षित हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर ऐसे व्यापारी द्वारा, जो ऐसे माल को चाहे अपने वास्ते या अपने मालिक के वास्ते स्थानीय क्षेत्र में लाता है या मंगवाता है या स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर ऐसे माल का परिदान प्राप्त करे या परिदान प्राप्त करने का हकदार हो, देय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसका कुल पूँजी निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर जिसका उपयोग या उपभोग उक्त इकाई द्वारा किया जाये, किसी व्यापारी द्वारा संदेय कर के दायित्व के दायी होने की अनुमति, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, दे सकती है।

स्पष्टीकरण–जहाँ व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर माल का परिदान प्राप्त किया जाता है या माल किसी स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि व्यापारी, जिसने ऐसे व्यक्ति से माल का परिदान प्राप्त किया है, द्वारा ही माल स्थानीय क्षेत्र में लाया गया है या मंगवाया गया है।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में अधिसूचित की जायें, कर के धनराशि को ऐसी सीमा तक माफ कर सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई में उपभोग या उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उक्त स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर की प्रभावी दरें राज्य ऊर्जा नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक को लागू सम्बन्धित दरों से अधिक न हों।

(5) कोई व्यापारी, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है, कर का देनदार न होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष के दौरान ऐसे माल का कुल मूल्य निर्माता की दशा में 2 लाख रुपये और अन्य व्यापारी की दशा में 3 लाख रुपये या ऐसी अधिक धनराशि, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या तो उसी माल के सभी व्यापारियों के सम्बन्ध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, से कम हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध उत्तर प्रदेश के बाहर से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के मूल्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यापारी से, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई ऐसा माल लाता है या मंगवाता है जो उस क्षेत्र से बाहर ले जाने के उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र में ही उसके द्वारा बेच दिया जाता है और वास्तव में माल बाहर चला जाता है, कोई कर उदग्रहीत और संग्रहीत नहीं किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय, उस माल का मूल्य या मात्रा अभिनिश्चय न हो जिसे उपभोग, उपयोग या बिक्री किये बिना माल को उस स्थानीय क्षेत्र से बाहर ले जाने के उद्देश्य से लाया गया हो, व्यापारी माल की कुल मात्रा के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा और स्थानीय क्षेत्र में माल क्रो स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से बेचा गया हो और माल वास्तव में बाहर चला गया हो, तो इस अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित रीति से व्यापारी ऐसे माल के संबंध में कर के रूप में संदत्त धनराशि की वापसी का दावा कर सकता है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व माल को बेचने वाले व्यापारी पर होगा कोई माल किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के बाद उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिये उस क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से बेचे गये थे और वास्तव में उक्त माल उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाये गये थे।

(7) जहां माल का पारेषण आंशिक रूप से किसी स्थानीय क्षेत्र में ही उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए और आंशिक रूप से उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर अन्तरित करने के लिए, किसी व्यापारी द्वारा ऐसे स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है अथवा प्राप्त किया जाता है और जहाँ उपभोग, उपयोग या बिक्री किये जाने के लिए माल का मूल्य अभिनिश्चय न हो, वहां व्यापारी पारेषण के सभी माल के मूल्य पर कर का भुगतान करेगा और यथापूर्वोक्त किसी माल को बाहर अन्तरित कर दिये जाने के बाद इस प्रकार अन्तरित किये गये माल के सम्बन्ध में कर के रूप में संदत्त धनराशि की वापसी का दावा इस अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित रीति से कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व कर वापसी का दावा करने वाले व्यापारी पर होगा कि किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में लाने या प्राप्त किये जाने के बाद उसे उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर उपभोग, उपयोग या बिक्री के बिना अन्तरित कर दिया गया है।

(8) जहाँ किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर संदेय है और किसी अभिकर्ता द्वारा इसका भुगतान कर दिया गया है, वहां मालिक कर संदेय का दायी नहीं होगा और इसी प्रकार जहां किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर संदेय है और मालिक के द्वारा इस प्रकार भुगतान कर दिया गया है वहां अभिकर्ता कर संदेय का दायी नही होगा।

(9) जहाँ

(एक) क्रय किये गये किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में–

(क) ऐसे माल का मूल्य अभिनिश्चय न हो या यथास्थिति व्यापारी अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति, के द्वारा यथा घोषित ऐसे माल का मूल्य, किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने के कारण अथवा प्रस्तुत न करने के कारण, सत्यापन योग्य न हो ; या

(ख) क्रय मूल्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज या परिवहन प्रभार और अन्य प्रभार विश्वसनीय न हों ; या

(दो) क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित अथवा प्राप्त किये गये अनुसूचित माल का मूल्य, जो यथास्थिति, माल के प्रभारी व्यक्ति या व्यापारी द्वारा घोषित किया गया हो, युक्तियुक्त पूर्वक प्रतीत या विश्वसनीय न हो,

तब जिस स्थानीय क्षेत्र में माल लाया जा रहा है उस स्थानीय क्षेत्र में खुले बाजार का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त पूर्वक अवधारित थोक मूल्य, यथास्थिति माल के प्रभारी व्यक्ति अथवा व्यापारी, को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात माल का मूल्य समझा जायेगा और इस प्रयोजन के लिए खण्ड (1) के संदर्भ में कर निर्धारण अधिकारी यह अवधारित करेगा कि माल क्रय से भिन्न प्रकार से अर्जित अथवा प्राप्त किया गया है।

(10) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हों, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में से जो कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि तक चले, रखी जायेगी और जब तक कि कोई बाद की तिथि निर्धारित न की जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे उपान्तरणों या अधिशून्यनों के अधीन रहते हुए जिन्हें विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, प्रभावी होगी, तथापि इस प्रकार का कोई उपान्तरण परिष्कार या अधिशून्यन से सम्बद्ध इसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर इसके सिवाय प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा, कि कर या शास्ति का किसी प्रकार का अधिरोपण, निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण उक्त उपान्तरण या अधिशून्यन के अध्यधीन होगा।

कर उद्ग्रहण की वापसी

5–(1) जहां किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए कोई व्यापारी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल लाया हो या मंगवाया हो या परिदान प्राप्त किया हो और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया गया हो वहाँ ऐसा कर उद्ग्रहण वापस हुआ माना जाएगा और उपधारा (3) के अधीन रहते हुए कर के रूप में व्यापारी द्वारा संदत्त धनराशि ऐसे व्यापारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस कर दिया जायेगा :–

(क) जहाँ क्रय किये गये माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बिना क्रय की तिथि से छः माह की अवधि के अन्दर विक्रेता व्यापारी को वापस कर दिये गये हों;

(ख) जहाँ माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बिना राज्य के बाहर किसी स्थान पर परेषित किये गये हों;

(ग) जहाँ माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किये बिना किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र के किसी स्थान पर उपभोग, उपयोग एवं बिक्री के लिए परेषित किये गये हों;

(घ) जहाँ माल का पुनर्विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के प्रक्रम में किया गया हो;

(ङ) जहाँ कोई अनुसूचित माल ऐसे स्थानीय क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिये बेचे गये हों और वास्तव में बाहर ले जाये गये हों।

स्पष्टीकरण:–केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 3 एवं 5 यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ लागू होंगे कि अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान व्यापारी द्वारा कोई माल बेचा गया है अथवा नहीं और भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान माल की बिक्री की गयी है अथवा नहीं।

(2) जहाँ किसी व्यापारी ने किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने के सम्बन्ध में कर का भुगतान कर दिया हो किन्तु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व माल नष्ट हो गया हो, तो वहां कर के रूप में भुगतान की गई ऐसी धनराशि, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, व्यापारी को वापस कर दी जायेगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसार व्यापारी को वापसी योग्य पायी गयी धनराशि पहले व्यापारी के विरुद्ध बकाया धनराशि से समायोजित की जायेगी और अवशेष धनराशि, यदि कोई हो, व्यापारी को वापस की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह कि जहाँ माल के किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या बिक्री के बिना किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्वयं को प्राप्त करने के लिए भेजा गया हो, वापसी योग्य पायी गयी धनराशि ऐसे माल के ऐसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के सम्बन्ध में देय कर की धनराशि के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

(5) कोई व्यापारी, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई माल लाता है या मंगवाता है, कर का देनदार न होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष के दौरान ऐसे माल का कुल मूल्य निर्माता की दशा में 2 लाख रुपये और अन्य व्यापारी की दशा में 3 लाख रुपये या ऐसी अधिक धनराशि, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या तो उसी माल के सभी व्यापारियों के सम्बन्ध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, से कम हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध उत्तर प्रदेश के बाहर से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाये गये माल के मूल्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यापारी से, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई ऐसा माल लाता है या मंगवाता है जो उस क्षेत्र से बाहर ले जाने के उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र में ही उसके द्वारा बेच दिया जाता है और वास्तव में माल बाहर चला जाता है, कोई कर उदग्रहीत और संग्रहीत नहीं किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय, उस माल का मूल्य या मात्रा अभिनिश्चय न हो जिसे उपभोग, उपयोग या बिक्री किये बिना माल को उस स्थानीय क्षेत्र से बाहर ले जाने के उद्देश्य से लाया गया हो, व्यापारी माल की कुल मात्रा के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा और स्थानीय क्षेत्र में माल को स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से बेचा गया हो और माल वास्तव में बाहर चला गया हो, तो इस अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित रीति से व्यापारी ऐसे माल के संबंध में कर के रूप में संदत्त धनराशि की वापसी का दावा कर सकता है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व माल को बेचने वाले व्यापारी पर होगा कोई माल किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के बाद उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिये उस क्षेत्र के बाहर ले जाने के उद्देश्य से बेचे गये थे और वास्तव में उक्त माल उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर ले जाये गये थे।

(7) जहां माल का पारेषण आंशिक रूप से किसी स्थानीय क्षेत्र में ही उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए और आंशिक रूप से उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर अन्तरित करने के लिए, किसी व्यापारी द्वारा ऐसे स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है अथवा प्राप्त किया जाता है और जहाँ उपभोग, उपयोग या बिक्री किये जाने के लिए माल का मूल्य अभिनिश्चय न हो, वहां व्यापारी परेषण के सभी माल के मूल्य पर कर का भुगतान करेगा और यथापूर्वोक्त किसी माल को बाहर अन्तरित कर दिये जाने के बाद इस प्रकार अन्तरित किये गये माल के सम्बन्ध में कर के रूप में संदत्त धनराशि की वापसी का दावा इस अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित रीति से कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व कर वापसी का दावा करने वाले व्यापारी पर होगा कि किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में लाने या प्राप्त किये जाने के बाद उसे उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर उपभोग, उपयोग या बिक्री के बिना अन्तरित कर दिया गया है।

(8) जहाँ किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर संदेय है और किसी अभिकर्ता द्वारा इसका भुगतान कर दिया गया है, वहां मालिक कर संदेय का दायी नहीं होगा और इसी प्रकार जहां किसी माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर संदेय है और मालिक के द्वारा इस प्रकार भुगतान कर दिया गया है वहां अभिकर्ता कर संदेय का दायी नही होगा।

(9) जहाँ

(एक) क्रय किये गये किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में–

(क) ऐसे माल का मूल्य अभिनिश्चय न हो या यथास्थिति व्यापारी अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति, के द्वारा यथा घोषित ऐसे माल का मूल्य, किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने के कारण अथवा प्रस्तुत न करने के कारण, सत्यापन योग्य न हो ; या

(ख) क्रय मूल्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज या परिवहन प्रभार और अन्य प्रभार विश्वसनीय न हों ; या

छूट

6—जहाँ धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विज्ञापित अनुसूचित माल के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अन्तर्गत ऐसे माल की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा खरीद या बिक्री के सम्बन्ध में उस ऐक्ट के अन्तर्गत कर देय हो, और किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश करने के पूर्व कर के भुगतान का दायित्व हो, राज्य सरकार, विज्ञप्ति के द्वारा और ऐसी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर की सम्पूर्ण धनराशि की सीमा तक छूट अनुमन्य कर सकती है।

करमुक्ति

7—जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी माल या माल के वर्ग पर कर के उद्ग्रहण से या व्यापारियों के वर्ग को कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकती है।

रजिस्ट्रीकरण

8—(1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यापारी जो कर के लिए दायी है, इस अधिनियम के अन्तर्गत जब से कर का दायी हो जाता है उस तिथि से तीस दिन के अन्दर रजिस्ट्रीकरण शुल्क के जमा किये जाने के साक्ष्य के साथ निर्धारित रीति से रजिस्ट्रीकरण पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का धारक है, यदि उपरोक्त समय के अन्दर प्रार्थना-पत्र के निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचना प्रस्तुत कर देता है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत अलग से पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यापारी पंजीकृत व्यापारी समझा जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी सरकार को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि ऐसा सरकारी विभाग नियमित व्यापार में संलिप्त नहीं है।

(2) जहाँ किसी व्यापारी का उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर व्यापार का निश्चित स्थान नहीं है, उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 8-क की उपधारा (1-क), (1- ख), (1-ग), (1-घ), 2, 3 एवं 4 के प्राविधान यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे जैसे उस ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए लागू हैं।

विवरण पत्रों को प्रस्तुत करना और कर निर्धारण

9—(1) प्रत्येक व्यापारी, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता हो, अपने कर निर्धारण प्राधिकारी को विवरण पत्रों में दिखायी गयी देय कर की धनराशि के जमा होने के साक्ष्य के साथ अनुसूचित माल के मूल्य का विवरण पत्र ऐसी रीति से, ऐसे कर अवधि और ऐसे समय के अन्दर प्रस्तुत करेगा जैसा विहित किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर कर निर्धारण प्राधिकारी, पर्याप्त कारण के होने पर, निर्धारित समय के बाद विवरण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(2) धारा 8 की उपधारा (2) में अभिदिष्ट व्यापारी के अलावा कर का देनदार प्रत्येक व्यापारी स्वतः निर्धारित कर का वार्षिक विवरण पत्र प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए अपने कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष ऐसे रीति एवं ऐसे समय के अन्दर प्रस्तुत करेगा जैसा विहित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर कर निर्धारण अधिकारी, पर्याप्त कारण के होने पर, नब्बे दिन की अवधि तक विवरण प्रस्तुत करने का समय बढ़ा सकेगा।

अनन्तिम कर निर्धारण

10–(1) जहाँ कोई व्यापारी, जिस पर धारा 9 की उपधारा (1) लागू होता है, किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर देय कर और अनुसूचित माल के मूल्य का विवरण पत्र उस धारा में निर्धारित या बढ़ाई गयी समयावधि के अन्दर प्रस्तुत करने में असफल रहता है या विवरण पत्र में दिखाई गयी देय कर के जमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, या दाखिल विवरण पत्र, कर निर्धारण प्राधिकारी के विचार से, त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हो या उसमें गलत विवरण दिये गये हों, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, धारा 9 के प्राविधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, अनुसूचित माल के मूल्य और उस पर देय कर का अनन्तिम कर निर्धारण कर सकेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनन्तिम कर निर्धारण किया जा चुका है, इस कर निर्धारण के कारण पूरे वर्ष के लिए अनुसूचित माल के मूल्य का अवधारण करने और कर का निर्धारण करने से रोक नहीं होगी।

कर का प्रशमन

11–जहाँ किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान का देनदार है किन्तु उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत, यथा परिभाषित व्यापारी की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है, वहां वह इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने या प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर कर के भुगतान का विकल्प अपना सकता है।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर व्यापार का निश्चित स्थान न रखने वाला प्रत्येक व्यापारी, इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने, प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर अनुसूचित माल के सम्बन्ध में कर का भुगतान करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति या व्यापारी, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत नहीं आता है, और जो इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी है, किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने या प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर कर के भुगतान का विकल्प अपना सकता है।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) में अभिदिष्ट कोई व्यापारी या व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, एक बार इस धारा के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर के भुगतान का विकल्प अपना लेता है तो उसे उस कर निर्धारण वर्ष के किसी अवधि के लिए किसी अन्य रीति से कर के भुगतान के विकल्प को बदलने का अधिकार नहीं होगा।

(5) कोई व्यापारी, जो इस धारा के उपबन्धों के अन्तर्गत कर भुगतान करता है, धारा 9 में अभिदिष्ट विवरण पत्र प्रस्तुत करने का दायी नहीं होगा।

(6) इस धारा के अन्तर्गत जहाँ किसी माल के सम्बन्ध में कर भुगतान कर दिया गया है, धारा 9 के अन्तर्गत ऐसे माल के सम्बन्ध में कर निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(7) धारा 4 की उपधारा (9) के उपबन्ध उन सभी माल पर लागू होंगे जिनके स्थानीय क्षेत्र के प्रवेश के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कर का भुगतान किया जाना है।

विनिर्माता के माध्यम से कर की वसूली

12–(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी अन्य बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखत हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये ग कर को प्राप्त करेगा। क्रेता द्वारा इस प्रकार के कर का भुगतान किये बिना विनिर्माता ऐ माल क्रेता को नहीं देगा।

(3) जहाँ–

(क) किसी व्यापारी ने उपधारा (1) में अभिदिष्ट सभी कर अवधियों के विवरण पत्र और उपधारा (2) में अभिदिष्ट स्वतः निर्धारित कर का विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) प्रथमदृष्टया विश्वास करने का कोई कारण न हो कि व्यापारी ने अनुसूचित माल के मूल्य को छिपाया है या अन्यथा कर के भुगतान से अपवंचन किया है; और

(ग) व्यापारी ने न तो किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में जमा की गयी किसी धनराशि की वापसी का दावा किया हो, न ही धारा 5 के अन्तर्गत कर की धनराशि के प्रतिफल का दावा किया हो, कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यापारी की उपस्थिति की अपेक्षा किये बिना, स्वतः निर्धारित कर के विवरण पत्र को स्वीकार कर लेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी का विचार हो कि,–

(एक) देय कर की दर पर विवरण पत्रों में दिये दिखाये गये कर की गणना नहीं की गयी है; या

(दो) कर संगणना में गणितीय त्रुटि है; या

(तीन) किसी प्रमाण-पत्र या किसी विहित प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र के आधार पर किसी प्रकार की छूट अथवा रियायत का दावा किया गया है किन्तु ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है,

वहाँ वह व्यापारी को स्वतः कर निर्धारण का संशोधित वार्षिक विवरण पत्र नोटिस की तामीली के पन्द्रह दिन के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करेगा और यदि कर निर्धारण प्राधिकारी स्वतः कर निर्धारण के संशोधित विवरण पत्र से संतुष्ट है तो वह स्वतः कर निर्धारण का संशोधित विवरण पत्र स्वीकार करेगा।

(4) जिस व्यापारी के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वतः कर निर्धारण स्वीकार किया जाता है, उससे भिन्न व्यापारी के मामले में कर निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात, जैसा वह उचित समझे, और व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, उपभोग एवं बिक्री के लिए लाये गये अथवा मंगवाये गये अनुसूचित माल के मूल्य को निर्धारित करेगा और व्यापारी द्वारा देय कर की धनराशि निर्धारित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण प्राधिकारी को अनुसूचित माल के मूल्य और व्यापारी के द्वारा देय कर के निर्धारण को अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से अवधारित करने से वहाँ कोई रोक नहीं होगी जहाँ–

(क) अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा लेखा बही नहीं रखी गयी हैं; या

(ख) अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा रखे गये लेखे एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं; या

(ग) व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखे एवं दस्तावेज कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विश्वसनीय नहीं पाये जाते हैं; या

(घ) व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखे एवं दस्तावेजों से स्थानीय क्षेत्र में लाये गये अथवा मंगवाये गये अनुसूचित माल का मूल्य सत्यापित नहीं पाये जाते हैं।

अनन्तिम कर निर्धारण

10–(1) जहाँ कोई व्यापारी, जिस पर धारा 9 की उपधारा (1) लागू होता है, किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर देय कर और अनुसूचित माल के मूल्य का विवरण पत्र उस धारा में निर्धारित या बढ़ाई गयी समयावधि के अन्दर प्रस्तुत करने में असफल रहता है या विवरण पत्र में दिखाई गयी देय कर के जमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, या दाखिल विवरण पत्र, कर निर्धारण प्राधिकारी के विचार से, त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हो या उसमें गलत विवरण दिये गये हों, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, धारा 9 के प्राविधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु व्यापारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, अनुसूचित माल के मूल्य और उस पर देय कर का अनन्तिम कर निर्धारण कर सकेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनन्तिम कर निर्धारण किया जा चुका है, इस कर निर्धारण के कारण पूरे वर्ष के लिए अनुसूचित माल के मूल्य का अवधारण करने और कर का निर्धारण करने से रोक नहीं होगी।

कर का प्रशमन

11–जहाँ किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान का देनदार है किन्तु उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत, यथा परिभाषित व्यापारी की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है, वहां वह इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने या प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर कर के भुगतान का विकल्प अपना सकता है।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर व्यापार का निश्चित स्थान न रखने वाला प्रत्येक व्यापारी, इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने, प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर अनुसूचित माल के सम्बन्ध में कर का भुगतान करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति या व्यापारी, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत नहीं आता है, और जो इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी है, किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल को लाने या प्राप्त करने या परिदान प्राप्त करने के पूर्व ऐसे अनुसूचित माल के अनुमानित मूल्य पर कर के भुगतान का विकल्प अपना सकता है।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) में अभिदिष्ट कोई व्यापारी या व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, एक बार इस धारा के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर के भुगतान का विकल्प अपना लेता है तो उसे उस कर निर्धारण वर्ष के किसी अवधि के लिए किसी अन्य रीति से कर के भुगतान के विकल्प को बदलने का अधिकार नहीं होगा।

(5) कोई व्यापारी, जो इस धारा के उपबन्धों के अन्तर्गत कर भुगतान करता है, धारा 9 में अभिदिष्ट विवरण पत्र प्रस्तुत करने का दायी नहीं होगा।

(6) इस धारा के अन्तर्गत जहाँ किसी माल के सम्बन्ध में कर भुगतान कर दिया गया है, धारा 9 के अन्तर्गत ऐसे माल के सम्बन्ध में कर निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(7) धारा 4 की उपधारा (9) के उपबन्ध उन सभी माल पर लागू होंगे जिनके स्थानीय क्षेत्र के प्रवेश के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कर का भुगतान किया जाना है।

विनिर्माता के माध्यम से कर की वसूली

12–(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी अन्य बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखत हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये ग कर को प्राप्त करेगा। क्रेता द्वारा इस प्रकार के कर का भुगतान किये बिना विनिर्माता ऐ माल क्रेता को नहीं देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर प्राप्त करने वाला विनिर्माता कर निर्धारण प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्रदाय किये गये माल और प्राप्त किये गये कर के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्राप्त किये गये कर को यथा विहित रीति और समय के भीतर जमा करेगा।

(3) जहाँ कोई भी विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को जमा करने में असफल रहता है, वहाँ वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा, जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(4) जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में अभिदिष्ट कोई माल विनिर्माता द्वारा प्रदाय के पश्चात और स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश के पूर्व खो गया है या नष्ट हो गया है वहाँ वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में भुगतान किया गया कर उस व्यक्ति को जिसने उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान किया है, वापस कर दिया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि माल के खो जाने या नष्ट हो जाने की तिथि से छः माह की समाप्ति के पश्चात् ऐसी वापसी के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

(5) उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 8-घ के अन्तर्गत कर की धनराशि की कटौती के सम्बन्ध में अर्थदण्ड आरोपित किये जाने विषयक उपबन्ध और उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ब्याज की अदायगी से सम्बन्धित उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अन्तर्गत विनिर्माता द्वारा क्रेता से कर की धनराशि की वसूली पर लागू होंगे।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

13—उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के निम्नलिखित उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के व्यापारियों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे :—

(एक) धारा 3-ग—विघटित फर्म आदि पर कर का दायित्व;

(दो) धारा 4-ग—तैयार माल का भारत के बाहर निर्यात करने वाले निर्माताओं को विशेष राहत,

(तीन) धारा 6 अधिकारिता के प्रति आपत्ति;

(चार) धारा 7-ख—कर निर्धारण वर्ष के दौरान कर की दर परिवर्तित हो जाने पर कर निर्धारण;

(पांच) धारा 7-ग—मृत व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना;

(छः) धारा 7-ङ—विक्रय धन, कर आदि को पूर्णांकित करना;

(सात) धारा 7-च—अल्प धनराशि की वसूली या वापसी को छोड़ दिया जाना;

(आठ) धारा 8—कर का भुगतान और उसकी वसूली;

(नौ) धारा 8-ख—कतिपय मामलों में अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण;

(दस) धारा 8-खख—व्यापार के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना;

(ग्यारह) धारा 8-ग—राजस्व की हित में प्रतिभूति;

(बारह) धारा 9—अपील;

(तेरह) धारा 10—अधिकरण;

(चौदह) धारा 10क--आज्ञा जिसके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा;

(पन्द्रह) धारा 10ख--कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण;

(सोलह) धारा 11--विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण;

(सत्रह) धारा 12--व्यापारियों द्वारा लेखा का रखा जाना;

(अट्ठारह) धारा 12क--तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व;

(उन्नीस) धारा 12ख--अपील में अतिरिक्त साक्ष्य;

(बीस) धारा 13--लेखों को प्रस्तुत करने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार;

(इक्कीस) धारा 13क--अभिग्रहण करने का अधिकार;

(बाइस) धारा 13ख--पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति

(तेइस) धारा 14--अपराध और दण्ड;

(चौबीस) धारा 14क--कम्पनियों द्वारा अपराध;

(पच्चीस) धारा 15 अपराधों का प्रशमन;

(छब्बीस) धारा 15-क कतिपय दशाओं में अर्थदण्ड;

(सत्ताइस) धारा 16 हानि रक्षा;

(अट्ठाइस) धारा 17 कतिपय कार्यवाहियों पर रोक;

(उन्तीस) धारा 18 पुनर्गठित अथवा नई फर्मों पर कर निर्धारण तथा साझा का बदला जाना;

(तीस) धारा 19 अल्पव्यस्कों तथा असमर्थ व्यक्तियों पर कर निर्धारण;

(इकत्तीस) धारा 20 प्रतिपालक न्यायालय आदि का कर निर्धारण;

(बत्तीस) धारा 21 उस विक्रय धन पर कर निर्धारित करना जिस पर वर्ष के भीतर कर निर्धारित न किया गया हो;

(तैंतीस) धारा 22 भूल का सुधार;

(चौंतीस) धारा 23 कुछ सूचनायें जो गोपनीय होंगी;

(पैंतीस) धारा 25 भूतलक्षी प्रभाव से विज्ञप्तियां जारी करने का अधिकार;

(छत्तीस) धारा 28 जाँच चौकियां और नाका की स्थापना;

(सैंतीस) धारा 28-क घोषणा-पत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करना;

(अड़तीस) धारा 28-ख राज्य से होकर सड़क से माल के प्रेषण और माल के पारगमन के लिए प्राधिकार का जारी किया जाना;

(उन्तालीस) धारा 29 धनराशि की वापसी;

(चालीस) धारा 29-क किसी व्यापारी द्वारा भूल से कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि के वितरण की प्रक्रिया;

(इकतालीस) धारा 30 कर निर्धारण के किसी आदेश या अपील में किसी आदेश को रद्द करने की शक्ति;

(बयालीस) धारा 32 कतिपय मामलों में शुल्क;

(तैंतालीस) धारा 34 राजस्व को कपटवंचित करने के लिए किये गये अन्तरण का शून्य होना;

(चवालीस) धारा 35 विवाद ग्रस्त प्रश्नों का अवधारण;

(पैंतालीस) धारा 36 किश्त मंजूर करने का अधिकार;

(छियालीस) धारा 38 रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिये सुविधा;

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत खरीद या बिक्री का व्यापारावर्त, या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के संदर्भ इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित माल के मूल के संदर्भ समझे जायेंगे।

इस अधिनियम के अधीन अधिरोपण के आगम का उपयोग

14–(1) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपण का आगम कोष में विनियोजित किया जायेगा एवं यह आगम उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास हेतु अनन्य रूप से प्रयुक्त होगा, जिसमें निम्न सम्मिलित हैं:–

(क) बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों को से जोड़े जाने हेतु सड़कों एवं पुलों का निर्माण, विकास एवं रख-रखाव;

(ख) वित्तीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयों को वित्त, सहायता, अनुदान तथा सहायिकी हेतु व्यवस्था;

(ग) उद्योग एवं विपणन तथा अन्य वाणिज्यिक काम्पलेक्सेज को बिजली एवं जल आपूर्ति के लिये अवस्थापना का सृजन;

(घ) सामान्य रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव;

(ङ) सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण के सृजन, विकास एवं रख-रखाव के लिए वित्त, सहायता अनुदान तथा राजसहायता उपलब्ध कराना;

(च) व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के विकास से जुड़े या उनकी सुविधा के लिए ऐसे अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(छ) खण्ड (क),(ग),(घ),(ङ) और (च) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थानीय निकायों एवं सरकारी संस्थानों को वित्त, सहायता अनुदान तथा राजसहायता उपलब्ध कराना।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत प्रवेश कर उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि में जमा किया जायेगा और व्यापार, वाणिज्य, उद्योग की सुविधा के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लाया जायेगा। प्रवेश कर के रूप में उद्ग्रहीत धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लायी जायेगी।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, समुचित लेखा शीर्षों में कर जमा करने की रीति एवं उद्ग्रहण की प्राप्तियों का एकमात्र उपयोग उत्तर प्रदेश राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास हेतु रीति विहित करेगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

15–(1) यदि इस अधिनियम के प्राविधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश के द्वारा ऐसा प्राविधान, जो इस अधिनियम के प्राविधानों से असंगत न हो, बना सकती है जैसा कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के अधिसूचित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं जारी किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा किये गये किसी उपबन्ध का वही प्रभाव होगा मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो और ऐसा कोई आदेश किसी ऐसे भूतलक्षी दिनांक से किया जा सकेगा जो इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व का न हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

नियम बनाने की शक्ति

16—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकती है।

विधिमान्यकरण

17—(1) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, सभी कृत कार्य, कृत कार्यवाही, बनाये गये नियम, जारी अधिसूचना या करने, होने, बनाने या जारी करने के लिए तात्पर्यित तथा उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 के अधीन उद्ग्रहीत, निर्धारित, संग्रहीत, वसूला गया, प्राप्त या प्रोद्भूत दायित्व इस अधिनियम के अधीन विधिमान्यतः कृत, हुआ बनाया हुआ, जारी, उद्ग्रहीत, वसूला गया, प्राप्त या प्रोद्भूत समझा जायेगा, मानो यदि यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था और किसी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष प्रवेश कर की वापसी के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियाँ अनुरक्षित या जारी नहीं होगी।

(2) शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा उद्घोषित किया जाता है कि अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा देय धनराशि से अधिक भुगतान किये गये प्रवेश कर की वापसी के दावे को उपधारा (1) के अन्तर्गत रोके जाने का अर्थ नहीं लगाया जायेगा यदि कर का भार संक्रान्त न किया गया हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 का निरसन और अपवाद

18—(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 35 सन् 2007 का निरसन और अपवाद

19—(1) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची

1—केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित कच्चा तेल

2—मशीन और मशीन के पुर्जे जिनकी कीमत दस लाख रुपये या उससे अधिक हो

3—प्राकृतिक गैस

4—बिना लेवी की चीनी

5—सिगरेट के रूप में तम्बाकू

6—सभी प्रकार के कागज

7—तम्बाकूयुक्त पान मसाला (गुटका)

8—सीमेंट

9—कोयला

10—तेन्दू पत्ता

11—मोम

12—तैयार चमड़ा

13–भारत के बाहर से आयातित सभी प्रकार के और सभी वृक्षों, के चाहे वो किसी भी प्रजाति के हों, काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बल्लियों और बांस भी, चाहे वह उगाई जा रही हो या काट दी गयी हो या चीरी गई हों।

14–हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर कैरोसिन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पेट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जन वितरण प्रणाली का कैरोसिन आयल सम्मिलित नहीं है।

15–क्लिंकर

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000) का अधिनियमन किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 251/2003 सर्वश्री इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम राज्य सरकार में दिनांक 27 जनवरी, 2004 को दिये गये अपने निर्णय में उक्त अधिनियम को अधिकारातीत घोषित कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 2757-2758/2004 दायर कर दी गयी। उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 9 फरवरी, 2004 को उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रवर्तन पर इस शर्त के साथ रोक लगा दी कि प्रवेश कर के रूप में वसूल की गई धनराशि पृथक ब्याज वाले लेखा में जमा की जायेगी। तत्पश्चात जिन्दल स्टील लिमिटेड बनाम राज्य सरकार व अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय से इस आशय की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी कि क्या अधिनियम के अधीन प्रवेश कर प्रतिकरात्मक कर की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। उच्च न्यायालय ने दिनांक 8 जनवरी, 2007 के अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रवेश कर प्रतिकरात्मक कर की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसा ही निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य तत्समान मामले में दिया गया। उच्च न्यायालय के दिनांक 8 जनवरी, 2007 के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गयी। चूंकि सर्वश्री इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड शीर्ष न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल, 2007 के अन्तरिम आदेश के आधार पर 3022.58 करोड़ रुपये की वापसी की मांग कर रहा था, अतएव सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के उपरान्त राज्य सरकार उक्त अधिनियम को नये सिरे से भूतलक्षी प्रभाव के साथ अधिनियमित करने के लिए विचार कर रही थी। इसी बीच पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार प्रवेश कर अधिनियम को वैध मान लिया गया। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय में इंगित कमियों को दूर करते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रतिकरात्मक कर के संबंध में किये गये संप्रेक्षण के आलोक में और बिहार प्रवेश कर अधिनियम, जिसे पटना उच्च न्यायालय द्वारा वैध माना गया है, के उपबन्धों के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से एक विधि बनाई जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई करनी आवश्यक थी, अतएव, दिनांक 24 सितम्बर, 2007 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 35 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।